फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अमवान - ....सुखदेव........ बनाम ....कुम्भाराम आदि........

किस्म मुकदमा :- ....212 LTA........ प्रकरण सं. :- 267/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/04/25	आज यह पत्रावली वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी पर ली गई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 LTA पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/631

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 267/2024 GCMS:-2024/631 **दायर दिनांक:– 02–10–2024**

सुखदेव पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ––– प्रार्थी

बनाम

1–कुम्भाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट ाकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ
2–बिमला पुत्री कुम्भाराम पत्नी महावीर जाति जाट साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा
3–महेन्द्र पुत्र श्री कुम्भाराम (फौत)
3/1– रजनी पुत्री महेन्द्र पत्नी राधेश्याम जाति जाट साकिन बन्नासर तहसील रावतसर
4–प्रकाश पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ
5–अमराराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ
6–प्रबन्धक एच डी एफ सी बैंक शाखा रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
7–तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जरिये पैरोकारा राज0
8– उप पंजीयक राजियासर /सूरतगढ

–––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955

उपस्थित :–

1– श्री लेखराज देरासरी अभिभाषक प्रार्थी
2– श्री राजवीर भादू अभिभाषक अप्रार्थी न0 1

–:– निर्णय –:– दिनांक:– 28.04.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थी न0 1 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं0 1 के नाम से तहसील सूरतगढ के ग्राम पीपासर के खाता सं0 19/895 के खसरा न0 406/128 में 3.466 है0 बारानी मय गै0मु0 , खसरा न0 426/128 में 6.515 है0 बारानी कुल 9.981 है0 बारानी मय गै0मु खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 4.990 है0 बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज शुदा है । उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी के दादा स्व0 जेठाराम पुत्र श्री केशुराम व दादी स्व0 जमनादेवी पत्नी स्व0 जेठाराम से विरासतन प्राप्त भूमि है । जिसमे प्रार्थी का मुताबिक हिन्दू विधि के जन्म से ही हित निहित है । अप्रार्थी सं0 1 के प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 4 सहित कुल 4 संताने है इस प्रकार प्रार्थी का अपने पिता अप्रार्थी सं0 1 को विरास्तन प्राप्त रकबा 4.990 है0 में 1/5 हिस्सा अर्थात 0.998 है0 बनता है । जिसकी घोषणा प्रार्थी अपने नाम से करवाना चाहता है । तथा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर रास्ता आदि की सुविधा के मद्धेनजर रखते हुए खाता विभाजन करवाना चाहता है। अप्रार्थी सं0 1 अपने साथ 4–5 अनजान व्यक्तियों को लेकर जैरवाद रकबा में आया व उन्हे जमीन का नाप तोल करवाने लगा जब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 को की ये लोग कौन है तो अप्रार्थी सं0 1 ने कहां कि मैने इन लोगो से जमीन का सौदा कर लिया है कुछ ही दिनो में ये मुझे साई पेटे की जो रकम देगें उससे बैंक का लोन चुका दुगा और फिर बाकी रकम जो रजिस्ट्री के वकत प्राप्त होगी उससे मैं मौज मस्ती करूगा । अप्रार्थी न0 1 उक्त भूमि बेचान करने पर उतारू है । यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने मकसद में कामयाब होकर प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त व घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई होनी बड़ी मुश्किल होगी । तथा वाद–पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इस कारण प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी सं0 1 इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 का अभिभाषक [illegible] उपस्थित होकर अपना जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

  (प्र0स0267/24 अनवान सुखदेव बनाम कुम्भाराम वगैरा)

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं0 1 के नाम से तहसील सूरतगढ के ग्राम पीपासर के खाता सं0 19/895 के खसरा न0 406/128 में 3.466 है0 बारानी मय गै0मु0 , खसरा न0 426/128 में 6.515 है0 बारानी कुल 9.981 है0 बारानी मय गै0मु खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 4.990 है0 बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज शुदा है । उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी के दादा स्व0 जेठाराम पुत्र श्री केशुराम व दादी स्व0 जमनादेवी पत्नी स्व0 जेठाराम से विरास्तन प्राप्त भूमि है । जिसमे प्रार्थी का मुताबिक हिन्दू विधि के जन्म से ही हित निहित है । अप्रार्थी सं0 1 के प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 4 सहित कुल 4 संताने है इस प्रकार प्रार्थी का अपने पिता अप्रार्थी सं0 1 को विरास्तन प्राप्त रकबा 4.990 है0 में 1/5 हिस्सा अर्थात 0.998 है0 बनता है । जिसकी घोषणा प्रार्थी अपने नाम से करवाना चाहता है । तथा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर रास्ता आदि की सुविधा के मद्धेनजर रखते हुए खाता विभाजन करवाना चाहता है। अप्रार्थी न0 1 उक्त भूमि बेचान करने पर उतारू है । यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने मकसद में कामयाब होकर प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त व घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई होनी बड़ी मुश्किल होगी । इसलिए प्रार्थी ने वाद-पत्र के निर्णय तक निषेधाज्ञा को यथावत रखने का निवेदन किया।

अप्रार्थी न0 1 के अभिभाषक ने जबाब प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 पिता-पुत्र है। अप्रार्थी सं0 1 को 4.990 है0 रकबा विरास्तन प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा 25 वर्ष पूर्व ही जैरवाद भूमि का बंटवारा कर प्रार्थी को उसके हक व हिस्सा मुताबिक 0.998 है0 भूमि दे दी तथा प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 से तब से अलग रह रहा है । तथा उक्त जैरवाद हिस्सा पर कास्त करता आ रहा है । जिससे अप्रार्थी स0 1 के पेसे से शौर उर्जा भी लगा कर दी गई है । उक्त जैरवाद रकबा में प्रार्थी के हक व हिस्सा का 0.998 है0 भूमि से अधिक भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है और न ही स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है । परन्तू प्रार्थी के द्वारा श्रीमान जी से स्थगन आदेश जारी होने के कारण अप्रार्थी न0 1 को अपने नाम जैरवाद रकबा के सुधार हेतू ऋण सुविधाओ से वंचित रहना पड़ रहा है । इसलिए उक्त स्थगन आदेश मे अप्रार्थी न0 1 के जैरवाद रकबा को रहन रखने की स्वतन्त्रता प्रदान की जावे ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । अप्रार्थी सं0 1 के नाम से तहसील सूरतगढ के ग्राम पीपासर के खाता सं0 19/895 के खसरा न0 406/128 में 3.466 है0 बारानी मय गै0मु0 , खसरा न0 426/128 में 6.515 है0 बारानी कुल 9.981 है0 बारानी मय गै0मु खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 4.990 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । जिसमें अप्रार्थी न0 1 के जबाब प्रार्थना-पत्र में उक्त भूमि में प्रार्थी को उसके हक व हिस्सा की भूमि 0.998 है0 भूमि का कब्जा दिया जाना स्वीकार किया है । प्रार्थी के हक व हिस्सा की 0.998 है0 भूमि में अप्रार्थी न0 1 के द्वारा रहन बेचान न करने हेतू पाबन्द किया जाता उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना-पत्र को आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 1 को पाबन्द किया जाता है कि जैरवाद रकबा ग्राम पीपासर के खाता सं0 19/895 के खसरा न0 406/128 में 3.466 है0 बारानी मय गै0मु0 , खसरा न0 426/128 में 6.515 है0 बारानी कुल 9.981 है0 बारानी मय गै0मु खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 4.990 है0 बारानी खातेदारी भूमि में 0.998 है0 भूमि को रहन बेचान नही करने हेतू पाबन्द किया जाता है। तथा उक्त जैरवाद रकबा में 0.998 है0 रकबा को छोड़कर शेष रकबा पर अप्रार्थी नं0 1 अपने अधिकारो का प्रयोग करने हेतू स्वतन्त्रता होगा । जिस पर स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। तथा पूर्व में दिनांक 07-10-2024 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 20/4/25 को [illegible] लय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:08 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ